1

FORM NO.III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, झुन्झुनू

सेशन प्रकरण संख्या 88/18 (CIS 133/18)

राजस्थान राज्य बनाम हरिराम व अन्य

आदेश दिनांक 02.08.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मनोहरलाल प्रोडक्शन वारण्ट से जरिए वी.सी. उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 294 दण्ड प्रक्रिया संहिता जबवा पेश नहीं करना चाहा। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिये कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी, अभियुक्तगण से लकड़ी, बबूल की लकड़ी, लोहे का पाईप खून आलूदा पार्चेजात जब्त किये गये थे और उक्त वजह सबूत को थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू द्वारा अग्रेषण पत्र के माध्यम से एफएसएल में जमा करवाए गए। प्रकरण में आरोप पत्र पेश करते समय थानाधिकारी पुलिस थाना नवलगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू द्वारा जारी अग्रेषण पत्रों को आरोप पत्र के सहवन से सलंग्न नहीं किया जा सका था। उक्त पत्र प्रकरण से संबंधित हैं, जिन्हें आरोप पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त पत्रों को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा देरी कारित करने के आशय से पेश किया गया है। अभियोजन पक्ष को अपनी कमी पूर्ति हेतु दस्तावेज पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधान के दौरान घटनास्थल से सादा मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी एवं अभियुक्तगण से बरामद किए गए वजह सबूत को थानाधिकारी द्वारा अग्रेषण पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को एवं पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू द्वारा पत्र क्रमांक 1488-1489 दिनांक 08.05.2018 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोग शाला में भिजवाया जाना बताते हुए उक्त दोनों अग्रेषण पत्र सहवन से पूर्व में पेश किये जाने से	

२८२

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1 झुंझुनूं

FORM NO III
फार्म अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, मुकाम झुन्झुनू
सेशन प्रकरण संख्या 88/18 (CIS 133/18)
राजस्थान राज्य बनाम हरिराम व अन्य
आदेश दिनांक 02.08.2025

रह जाना बताते हुए रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन अपनी कमी पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकता। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि दस्तावेज पूर्व में पेश नहीं किए जाने का जो कारण अभियोजन की ओर से दर्शित किया गया है वह न्यायोचित है। पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है। दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने से न्यायालय के समक्ष प्रकरण की सही स्थिति आ सकेगी तथा बचाव पक्ष के पास उक्त दस्तावेज के संबंध में जिरह करने पर्याप्त अवसर रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है।

गवाह संख्या-25 को दिनांक 18.08.2025 के लिए, गवाह संख्या-31 को दिनांक 19.08.2025 के लिए एवं गवाह संख्या-34 को दिनांक 20.08.2025 के लिए जरिए जमानतीय वारण्ट रूपये 5000/- से तलब किया जावे। प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची पर 04 नंबर पर अंकित है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। अतः गवाहान की तामील अर्द्धशासकीय पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को भिजवाई जावे। तामील पर गवाहान की तामील आवश्यक रूप से करवाए जाने का नोट अंकित हो।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1
झुन्झुनू